

आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 235 से 241/इंदौर/2018

निर्धारण वर्ष : 2010-11 से 2016-17

श्रीमती मनु राय, झांसी	बनाम	आयकर उपायुक्त सेंट्रल सर्कल, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएचएसपीआर 0621 एफ		

आ. अ. सं. 242 से 248 /इंदौर/2018

निर्धारण वर्ष : 2010-11 से 2016-17

श्री मनीष राय, झांसी	बनाम	आयकर उपायुक्त सेंट्रल सर्कल, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएचएसपीआर 0620 ई		

आ. अ. सं. 249 से 255/इंदौर/2018

निर्धारण वर्ष : 2010-11 से 2016-17

श्रीमती मीना देवी राय, झांसी	बनाम	आयकर उपायुक्त सेंट्रल सर्कल, भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएफआईपीआर 6416 सी		

अपीलार्थी की ओर से :	कोई नहीं
प्रत्यर्थी की ओर से :	श्री के.जी.गोयल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि

सुनवाई तिथि	:	27.03.2019
उद्घोषणा तिथि	:	28.03.2019

आदेश

न्यायपीठ द्वारा

निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2016-17 के लिए उपर्युक्त निर्धारितियों द्वारा संबंधित अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-3, भोपाल के अलग-अलग आदेशों सभी दिनांक 30.01.2018 के विरुद्ध दाखिल की गई हैं। इन अपीलों की सुनवाई के समय निर्धारितियों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जबकि राजस्व की ओर से श्री के.जी.गोयल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

2. यह अपीलें निर्धारितियों द्वारा 22.03.2018 को दाखिल की गई थी जैसा कि इन अपीलों की आदेश पत्रक प्रविष्टियों से प्रकट है। इन अपीलों की सुनवाई पूर्व में दिनांक 22.01.2019 को नियत थी परंतु इस तारीख पर निर्धारितियों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। हालांकि निर्धारितियों को सुनवाई का एक और अवसर देते हुए न्यायहित में सुनवाई दिनांक 20.03.2019 हेतु स्थगित की गई। दिनांक 20.03.2019 को भी निर्धारितियों को लिखित स्थगन आवेदन पर सुनवाई दिनांक 27.03.2019 हेतु स्थगित की गई। यद्यपि दिनांक 27.03.2019 को इन अपीलों की सुनवाई के समय न तो निर्धारितियों की ओर से कोई उपस्थित हुआ न ही कोई स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया गया। यह प्रतीत होता है कि निर्धारितियों उनकी अपीलों को जारी रखने के इच्छुक नहीं हैं। अतः, इन्हें अनिश्चित अवधि तक न्यायनिर्णयन हेतु लंबित नहीं रखा जा सकता। इस तथ्य की दृष्टि में, हमारा अभिमत है कि निर्धारितियों की अपीलें खारिज करने योग्य हैं। हमारा दृष्टिकोण निम्नलिखित न्यायिक उद्घोषणाओं द्वारा समर्थित है-

- 1) 118 आईटीआर 461 में जापित (सुसंगत पृष्ठ 477 एवं 478) आयकर आयुक्त बनाम बी.एन. भट्टाचार्जी तथा अन्य के प्रकरण में, जिसमें न्यायाधिकारियों ने अभिधारित किया है-

" अपील का अर्थ केवल अपील दाखिल करना नहीं बल्कि उसका प्रभावी अनुसरण है।"

- 2) इस्टेट ऑफ तुकोजीराव होलकर बनाम धनकर आयुक्त के प्रकरण, 223 आईटीआर 480 (म.प्र.), में निर्धारिती की प्रार्थना पर किए गए संदर्भ को व्यतिक्रम में खारिज करते हुए उनके आदेश में निम्नलिखित संप्रेक्षण किया :

" यदि कोई पक्ष, जिसके अनुरोध पर संदर्भ किया गया है, सुनवाई में उपस्थित होने में विफल होता है या अभिलेख पुस्तिका तैयार करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने में, ताकि संदर्भ की सुनवाई की जा सके, विफल होता है, तो न्यायालय संदर्भ का उत्तर देने हेतु बाध्य नहीं है।"

- 3) आयकर आयुक्त बनाम मल्टीप्लान इन्डिया लिमिटेड के प्रकरण, 38 आईटीडी 320 (दिल्ली), में राजस्व द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल की गई थी जिसे सुनवाई हेतु नियत किया गया था। परंतु सुनवाई की तारीख पर, किसी ने राजस्व/ अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व नहीं किया न ही स्थगन हेतु कोई सूचना प्राप्त हुई थी। ऐसी कोई संसूचना या जानकारी नहीं थी कि कयो राजस्व ने तारीख पर अनुपस्थित होने का विकल्प चुना। अधिकरण ने अंतर्निहित शक्तियों के आधार पर, अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 19 के उपबंधों की दृष्टि में राजस्व द्वारा दाखिल अपील को अग्राह्य माना।

परिणामतः, निर्धारितियों द्वारा दाखिल अपीलें अभियोजन नहीं करने के कारण खारिज की जाती हैं ।

यह आदेश 28.03.2019 को खुले न्यायालय में विद्वान विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-

(मनीष बोरड)

लेखा सदस्य

हस्ता/-

(कुल भारत)

न्यायिक सदस्य

दिनांक : 28.03.2019

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि,
गार्ड फाइल